Telecom Regulatory Authority of India

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is a statutory body set up by under the TRAI Act 1997, for regulating Telecommunication sector. The Act came into force on 25th January 1997 and was published vide gazette notification dated 28th March 1997. Subsequently, the Central Government through a notification dated 9th January 2004 entrusted the function of regulating Broadcasting and Cable Services also to the Authority.

Under the TRAI Act, 1997, the Authority is inter-alia mandated to make recommendations, either suo motu or on a request from the licensor, on (i) need and timing for introduction of new service provider; (ii) terms and conditions of license to a service provider; (iii) revocation of license for non-compliance of terms and conditions of license (iv) measures to facilitate competition and promote efficiency in the operation of telecommunication services so as to facilitate growth in such services (v) technological improvements in the services provided by the service providers (vi) type of equipment to be used by the service providers after inspection of equipment used in the network (vii) measures for the development of telecommunication technology and any other matter relatable to telecommunication industry in general and (viii) efficient management of available spectrum.

TRAI is also mandated to (i) ensure compliance of terms and conditions of license (ii) fix the terms and conditions of inter-connectivity between the service providers (iii) ensure technical compatibility and effective interconnection between different service providers (iv) regulate arrangement among service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services, (v) lay down the standards of quality of service to be provided by the service providers and ensure the quality of service and conduct the periodical survey of such service provided by the service providers so as to protect interest of the consumers of telecommunication services (vi) lay down and ensure the time period for providing local and long distance circuits of telecommunication between different service providers (vii) maintain register of interconnect agreements and of all such other matters as may be provided in the regulations and keep this register open for inspection to any member of public on payment of such fee and compliance of such other requirement as may be provided in the regulations (viii) ensure effective compliance of universal service obligations and (ix) levy fees and other charges at such rates and in respect of such services as may be determined by such regulations.

In addition, the Authority also has powers to call for information, conduct investigations and issue directions to service providers as it may consider necessary for proper functioning by service providers.

The notification dated 9th January 2004 empowers the authority to recommend (i) the terms and conditions on which addressable systems of the Broadcasting and Cable Services shall be provided to customers (ii) the parameters regulating maximum time for advertisement in pay channels as well as other channels and (iii) to specify standard norms for periodicity of revision of rates of pay channels including interim measures.

Authority has played a catalytic role in the development of the Telecommunication, Broadcasting and Cable Services Sector. The mission of TRAI is to ensure that the interests of consumers are protected and at the same time to nurture conditions for growth of telecommunications, broadcasting and cable services in a manner and at a pace which will enable India to play a leading role in the emerging global information society. The aim and objective of the Authority is to

- Ensure transparency in decision making by affording an opportunity to all stakeholders.
- Provide consumer with adequate choice, affordable tariffs and high quality of service.
- Promote level playing field and fair competition among service providers.
- Provide access to world class quality telecommunications, broadcasting and cable services.
- Promote efficiency in operations in all the tiers of the industry.
- Adoption of emerging technologies within the framework of a technology neutral policy and
- Ensure technical compatibility & effective interconnection between service providers.

To achieve the objective, the Authority has made various recommendations to the government on telecom and broadcasting related issues and also has issued a large number of regulations, orders and directives during the span of 20 years.

During this period, the Authority made Recommendations to the Government on 'Unified Licensing', 'Universal Service Obligations', 'Digitization of Cable Television', 'Growth of Telecom Services in Rural India', 'Next Generation Networks', 'Infrastructure Sharing' 'Accelerating growth of Internet and Broadband' and 'Mobile Number Portability' along with other important Recommendations. The Authority issued Regulations on 'Interconnection Usages Charges', 'Mobile Number Portability', 'Mobile Banking' 'Consumer Protection' and 'Telecom Commercial Communication Customer Preference' and their subsequent amendments. 'The Telecommunication Tariff Order, 1999' and its amendments were also made.

These Recommendations, Regulations and Directions etc, have provided the required directions for the evolution of Indian Telecom market from a government owned monopoly to a multi operator – multi service open competitive market and growth of telecom and broadcasting services and market manifold.

Department of Posts is pleased to release a Postage Stamp to commemorate 20 years of Telecom Regulatory Authority of India.

Credits:-

Text	:	Based on the material received from proponent
Stamp / FDC/Brochure	:	Sh. Kamleshwar Singh

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA



TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India

विवरणिका BROCHURE

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह अधिनियम 25 जनवरी, 1997 से लागू हुआ तथा 28 मार्च, 1997 को राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार ने दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के माध्यम से प्रसारण तथा केबल सेवाओं को विनियमित करने का कार्य प्राधिकरण को सौंपा।

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ (i) इस क्षेत्र में नए सेवा प्रदाता को लाए जाने की आवश्यकता तथा उसके संबंध में समय (ii) सेवा प्रदाता को लाइसेंस प्रदान करने की निबंधन और शर्तों; (iii) लाइसेंस प्रदान करने की निबंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण लाइसेंस को रद्द किये जाने; (iv) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा लाने तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना ताकि ऐसी सेवाओं का विकास हो सके; (v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में प्रौद्योगिकीय सुधाार लाने (vi) नेटवर्क में उपयोग किए गए उपकरणों के निरीक्षण उपरांत सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरण की किस्म के संबंध में निर्देश देने (vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उपाय करने तथा सामान्य रूप से दूरसंचार उद्योग से संबंधित अन्य मामले तथा (viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के संबंध में स्व-प्रेरणा से अथवा लाइसेंस प्रदाता से अनुरोध प्राप्त होने पर सिफारिशें करने हेतु अधिदेशित है।

भादूविप्रा, (i) किसी लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने (ii) सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन के संबंध में निबंधन और शर्तों का निर्धारण करने (iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सुगम्यता तथा प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करने (iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से प्राप्त राजस्व के बंटवारे हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करने, (v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के सेवा गुणवत्ता मानदंड निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करवाना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके (vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच स्थानीय तथा लंबी दूरी के दूरसंचार सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि निर्धारित करना (vii) अंतर्संयोजन करार तथा ऐसे सभी मामलों के रजिस्टर का रखरखाव करना जिनके संबंध में विनियम में उपबंध किया गया हो तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने तथा विनियम में यथा उपबंधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किए जाने हेतु इस रजिस्टर को खुला रखने (viii) वैश्विक सेवा दायित्व का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा (ix) जैसा इस प्रकार के विनियमों में निर्धारित किया जाए, ऐसी सेवाओं के संबंध में ऐसी दरों पर शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण करने के लिए भी अधिदेशित है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के पास सेवा प्रदाताओं से ऐसी सूचना मंगवाने, जांच करने तथा सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करने की शक्तियां भी हैं जिन्हें वह उनके उपर्युक्त कार्यकरण हेतु अनिवार्य समझे।

दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना, प्राधिकरण को (i) ऐसी निबंधन और शर्तें जिन पर प्रसारण तथा केबल सेवाओं की एड्रेसेबल प्रणालियां उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी (ii) पे-चेनलों तथा अन्य चेनलों में विज्ञापनों के अधिकतम समय को विनियमित करने के लिए मानदंड, और (iii) अंतरिम उपायों सहित पे-चेनलों की दरों में संशोधन की आवधिकता हेतु मानक मानदंडों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सिफारिशें करने हेतु शक्ति प्रदान करती है।

प्राधिकरण ने दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवा क्षेत्र के विकास हेतु एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भादूविप्रा का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के साथ-साथ दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवा क्षेत्र के विकास हेतु परिस्थितियों को इस प्रकार से तथा इस गति से पोषित किया जाए जिससे भारत, उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अहम भूमिका निभा सके। प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नवत हैं

- सभी स्टेकहोल्डरों को अवसर प्रदान कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- उपभोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प, वहनीय प्रशुल्क तथा सेवा की उच्च गुणवत्ता उपलब्ध कराना।
- सेवा प्रदाताओं को एक समान अवसर प्रदान करना तथा उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- विश्वस्तरीय गुणवत्ता दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- उद्योग के सभी स्तरों पर प्रचालनों में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी निष्पक्ष नीति के ढ़ांचे के भीतर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना; और
- सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता तथा प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्राधिकरण ने दूरसंचार तथा प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर सरकार को अनेक सिफारिशें सौंपी हैं तथा साथ ही 20 वर्षों की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में विनियम, आदेश तथा निर्देश जारी किए हैं।

इस अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने सरकार को अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें करने के साथ-साथ 'एकीकृत लाइसेंसिग', वैश्विक सेवा दायित्व', 'केबल टेलीविजन का डिजिटाइजेशन', 'ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं का विकास', 'अगली पीढ़ी के नेटवर्क', 'अवसंरचनात्मक सहभागिता', इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड के विकास को गति देना', 'मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी', के संबंध में सिफारिशें की हैं। प्राधिकरण ने 'इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार', 'मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी', 'मोबाइल बैंकिंग', 'उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण' तथा 'दूरसंचार वाणिज्य संचार उपभोक्ता अधिमान' तथा उनके उत्तरवर्ती संशोधान जारी किए। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 तथा इसमें संशोधन भी किए गए।

इन सिफारिशों, विनियमों तथा निर्देशों आदि ने भारतीय दूरसंचार बाजार के क्रमिक विकास में सरकारी स्वामित्व एकाधिकार से बहु प्रचालक-बहु सेवा खुले प्रतिस्पर्धी बाजार हेतु अपेक्षित दिशा प्रदान की है तथा दूरसंचार तथा प्रसारण सेवाओं तथा बाजार में कई गुना विकास करने में मदद की है।

डाक विभाग भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 20 वर्ष पूरे होने पर डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:-

मूलपाठ	:	प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/ विवरणिका	:	श्री कमलेश्वर सिंह

भारतीय डाक
India Post

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	500 पैसा
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	410000
Stamps Printed	:	410000
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00